विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय सम्मिलित हैं:

अध्याय-1: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

अध्याय-2: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका

अध्याय-3: कॉर्पोरेट गवर्नेंस

अध्याय-4: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अध्याय-1: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

उत्तराखण्ड में 31 मार्च 2023 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 32 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (रा सा क्षे उ) थे। इन 32 रा सा क्षे उ में से, 27 सरकारी कंपनियाँ, एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी और चार सांविधिक निगम थे। इसके अतिरिक्त, 32 रा सा क्षे उ में से, 23 रा सा क्षे उ कार्यरत थे, और नौ रा सा क्षे उ निष्क्रिय थे (जिनमें परिसमापन के अधीन आठ रा सा क्षे उ सम्मिलित हैं), जिनका परिचालन बंद हो चुका था। कोई भी रा सा क्षे उ किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

कार्यरत 23 रा सा क्षे उ में से, केवल पाँच रा सा क्षे उ (उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, यू जे वी एन लिमिटेड, किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड) ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे। दो रा सा क्षे उ, अर्थात् सिडकुल प्लास्टिक पार्क लिमिटेड और इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड, ने अपना पहला वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया था।

कार्यरत 18 रा सा क्षे उ (बिना टर्नओवर वाले तीन रा सा क्षे उ को छोड़कर) का कुल टर्नओवर ₹ 12,569 करोड़ रहा, जो वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखण्ड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 3,03,781 करोड़) का 4.14 *प्रतिशत* है। ऊर्जा क्षेत्र का सबसे अधिक हिस्सा था, जिसने सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 3.27 *प्रतिशत* का योगदान दिया।

उत्तराखण्ड सरकार ने रा सा क्षे उ में ₹ 4,939.53 करोड़ (इक्विटी: ₹ 3,989.52 करोड़ और दीर्घकालिक ऋण: ₹ 950.01 करोड़) का निवेश किया था, जो इन रा सा क्षे उ में कुल निवेश का 56 *प्रतिशत* था। इसके अतिरिक्त, अनुदान

और उपदान के रूप में रा सा क्षे उ को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी जाने वाली बजटीय सहायता 2021-22 में ₹ 1,284.27 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 2,097.31 करोड़ हो गयी।

21 रा सा क्षे उ में से, सात रा सा क्षे उ में शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी। शेष 14 रा सा क्षे उ के लिए उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर इक्विटी पर प्रतिफल (ई प प्र) - शेयरधारकों की निधि द्वारा विभाजित करों के बाद शुद्ध लाभ - और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (नि पू प्र) - नियोजित पूंजी द्वारा विभाजित ब्याज और करों से पहले की कमाई का विश्लेषण, इंगित करता है कि नौ रा सा क्षे उ ने सकारात्मक ई प प्र / नि पू प्र दर्ज किया, तीन रा सा क्षे उ ने ऋणात्मक ई प प्र/ नि पू प्र की सूचना दी, और दो रा सा क्षे उ ने 'निरंक' ई प प्र/ नि पू प्र दर्शाया।

नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के अनुसार, 10 रा सा क्षे उ ने कुल ₹ 231.34 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिसमें से शीर्ष पाँच लाभ अर्जित करने वाले रा सा क्षे उ, यू जे वी एन लिमिटेड, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड और उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड थे। नौ रा सा क्षे उ को ₹ 1,279.69 करोड़ की हानि हुई, जिसमें से शीर्ष पाँच हानि वाले रा सा क्षे उ, उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड थे। दो रा सा क्षे उ ने निरंक लाभ/ हानि की सूचना दी।

उत्तराखण्ड सरकार ने कोई लाभांश नीति नहीं बनाई है जिसके अन्तर्गत रा सा क्षे उ को राज्य सरकार द्वारा अंशदान की गई प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम लाभांश का भुगतान करना आवश्यक हो। लाभ अर्जित करने वाले 10 रा सा क्षे उ में से, केवल दो ऊर्जा क्षेत्र के रा सा क्षे उ, अर्थात् यू जे वी एन लिमिटेड और पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 20 करोड़ और ₹ 5 करोड़ का लाभांश दिया/घोषित किया।

21 रा सा क्षे उ की निवल संपत्ति के विश्लेषण से पता चला कि छः रा सा क्षे उ की निवल संपत्ति, उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर, पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इन छः रा सा क्षे उ ने ₹ 6,588.68 करोड़ की संचित हानि दर्ज

की, जो उनकी ₹ 1,796.68 करोड़ की संयुक्त प्रदत्त पूंजी और निर्बाध आरक्षित निधियों तथा अधिशेष से अधिक है।

21 रा सा क्षे उ में से, 20 रा सा क्षे उ की कुल परिसंपत्तियों का मूल्य बकाया दीर्घकालिक ऋणों से अधिक था, जबकि केवल एक रा सा क्षे उ, अर्थात डोईवाला शुगर कंपनी लिमिटेड की कुल परिसंपत्तियाँ बकाया दीर्घकालिक ऋणों से कम थीं।

रा सा क्षे उ द्वारा उपलब्ध कराई गई नवीनतम जानकारी के अनुसार, नौ निष्क्रिय रा सा क्षे उ (परिसमापन के अधीन आठ सहित) में ₹ 16.26 करोड़ का निवेश था, जिसमें ₹ 12.14 करोड़ की पूंजी (राज्य सरकार: ₹ 9.45 करोड़) और ₹ 4.12 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण (राज्य सरकार: ₹ 4.09 करोड़) सम्मिलित था।

अध्याय-2: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका

सी ए जी ने अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 की अवधि के दौरान 13 रा सा क्षे उ (12 सरकारी कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) के 19 वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की और उन पर टिप्पणियाँ/ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ ले प्र) जारी किए। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान तीन रा सा क्षे उ, जहाँ सी ए जी एकमात्र लेखापरीक्षक है, के आठ वित्तीय विवरणों पर पृ ले प्र जारी किए गए।

सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों का लाभप्रदता पर ₹ 166.93 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 64.96 करोड़ का प्रभाव पड़ा।

सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों का लाभप्रदता पर ₹ 163.97 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 185.57 करोड़ का प्रभाव पड़ा।

अध्याय-3: कॉर्पोरेट गवर्नेंस

लेखापरीक्षा ने रा सा क्षे उ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढाँचे के क्रियाकलाप में कई कमियाँ पाई, जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

- कार्यरत 12 रा सा क्षे उ में से, जहाँ स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी थी, सात रा सा क्षे उ ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की और एक रा सा क्षे उ में, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अपेक्षित संख्या में नहीं थी। इसके अतिरिक्त, दो रा सा क्षे उ, जिनके बोर्ड में एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक थे, द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक आयोजित नहीं की गई।

- चार कार्यरत रा सा क्षे उ, जहाँ महिला निदेशक की नियुक्ति की जानी थी, में से एक रा सा क्षे उ में पूरे वर्ष 2022-23 के दौरान महिला निदेशक नहीं थी।
- कार्यरत 19 रा सा क्षे उ में से, आठ रा सा क्षे उ ने वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकें अपेक्षित संख्या (न्यूनतम चार) में आयोजित नहीं कीं। इसके अतिरिक्त, चार रा सा क्षे उ में निदेशक मण्डल की दो बैठकों की मध्यांतर अवधि, 120 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के सापेक्ष 127 दिनों से 181 दिनों के बीच रही।
- जिन 12 रा सा क्षे उ के लिए लेखापरीक्षा समिति का होना आवश्यक था, उनमें से छः रा सा क्षे उ ने लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया।
- जिन 12 रा सा क्षे उ के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (ना पा स) का होना आवश्यक था, उनमें से नौ रा सा क्षे उ ने ना पा स का गठन नहीं किया।

अध्याय-4: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बिलिंग दक्षता और राजस्व वसूली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उ पा का लि) की बिलिंग गतिविधियाँ निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही थीं, राजस्व वसूली गतिविधियाँ पर्याप्त, त्वरित और प्रभावी थीं, उ पा का लि, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ वि नि आ) द्वारा निर्धारित संग्रहण दक्षता के लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम था, और एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र स्थापित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हरिद्वार (रुड़की-ग्रामीण, रुड़की-शहरी, रुड़की-रामनगर और लक्सर) और उधम सिंह नगर (विशेष रूप से रुद्रपुर-II) में स्थित खण्डों में वितरण हानि सबसे अधिक थी। अकेले विद्युत वितरण मंडल- रुड़की ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान ₹ 488.50 करोड़ की लागत की 964.465 मिलियन इकाई वितरण की हानि वहन की।

उत्तराखण्ड सरकार ने उ पा का लि में एक सतर्कता प्रकोष्ठ की स्थापना (नवंबर 2018) की। हालाँकि, पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारी तैनात नहीं किए गए। छापेमारी एवं राजस्व निरीक्षण विभाग अस्तित्व में नहीं था, और सम्बंधित

गतिविधियों की देखरेख उप महाप्रबंधक/अधीक्षण अभियंता स्तर के किसी अधिकारी द्वारा नहीं की गई।

उत्तराखण्ड के पड़ोसी राज्य, अर्थात् उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों ने विद्युत चोरी और अनधिकृत उपयोग की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए समर्पित पुलिस थाने स्थापित किए हैं। हालाँकि, दो सबसे अधिक प्रभावित जिलों, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में समर्पित पुलिस थाने स्थापित करने का निर्णय पाँच वर्षों से भी अधिक समय (जनवरी 2025) से लंबित है।

उ पा का लि के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जाँचे गए मीटरों की संख्या, प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम रही और 2021-22 से 2023-24 के दौरान केवल 31.78 *प्रतिशत* (1,81,920 के लक्ष्य के सापेक्ष 57,825 मीटरों की जाँच हुई) रही।

उ पा का लि ने ₹ 385.34 करोड़ के बकाया वाले 1.13 लाख उपभोक्ताओं (जिनके मीटर पहुँच में नहीं हैं/ पढ़े नहीं गए हैं/ दोषपूर्ण हैं) को दो निरंतर बिलिंग चक्रों की निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि के लिए अनंतिम बिलिंग जारी रखी। इसके अतिरिक्त, घरेलू उपभोक्ताओं और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अनुबंधित भार के उल्लंघन पर जुर्माने से सम्बंधित प्रावधानों (चार गुना जुर्माना) को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद लागू किया गया।

राजस्व प्राप्ति से सम्बंधित मुद्दों की लेखापरीक्षा में अन्य बातों के अतिरिक्त, चूककर्ता उपभोक्ताओं के समय पर संयोजन विच्छेदित नहीं किए गए, जिसके कारण उ पा का लि के पास उपलब्ध प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त ₹ 769.10 करोड़ का बकाया जमा हो गया। राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों (चूककर्ता उपभोक्ताओं से भू-राजस्व के रूप में बकाया राशि की वसूली के लिए जिला अधिकारियों को जारी) के सापेक्ष वसूली दर खराब थी और 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान जारी किए गए राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के मूल्य के 10 *प्रतिशत* से भी कम रही। अन्य मुद्दों में ₹ 80.13 करोड़ के बकाया वाले 16,060 उपभोक्ताओं के स्थायी कनेक्शन काटने में विलंब, कुछ उपभोक्ताओं को कई बार किस्त की सुविधा प्रदान करना, ₹ 441.63 करोड़ के बकाया वाले बिल निर्गत नहीं/ रोके गए बिल वाले उपभोक्ताओं के 1.30 लाख मामलों का निपटारा न करना और अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा ने स्वीकार किया कि उ पा का लि ने लेखापरीक्षा में उठाए गए निम्नलिखित मुद्दों पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की:

- लेखापरीक्षा में बिना उचित जाँच-पड़ताल के कई बार किस्त सुविधा प्रदान करने का मुद्दा उठाया गया था। इसके अनुपालन में, उ पा का लि ने किस्त सुविधा प्रदान करते समय अपनाई जाने वाली उचित जाँच-पड़ताल प्रक्रिया तैयार (जनवरी 2024) की, जिसके अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोक्ताओं को किस्त सुविधा की माँग की गई राशि के बराबर बैंक गारंटी देनी होगी, ताकि जोखिम कम से कम हो और उ पा का लि को कोई हानि न हो।
- लेखापरीक्षा ने, पिछले वर्ष की खपत के आधार पर, उपभोक्ताओं से अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिभूति जमा राशि की वसूली न होने का मामला उठाया (जनवरी-फरवरी 2023)। इसके अनुपालन में, उ पा का लि ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर की (मार्च 2023), जिसके द्वारा उ पा का लि को अतिरिक्त प्रतिभूति जमा राशि की बकाया राशि 12 समान मासिक किश्तों में वसूलने की अनुमति (नवंबर 2023) प्राप्त हुई, परिणामस्वरूप ₹ 181.08 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति जमा राशि (अक्टूबर 2024 तक) वसूल की गई।
- लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 32,041 घरेलू उपभोक्ताओं ने पाँच बिलिंग चक्रों में लगातार अनुबंधित भार को पार कर लिया था, लेकिन उ पा का लि ने छठे बिलिंग चक्र से उनके अनुबंधित भार में वृद्धि नहीं की, जो कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (आपूर्ति संहिता) विनियम, 2020 के अनुसार आवश्यक था। अनुपालन में, उ पा का लि ने घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अनुबंधित भार के उल्लंघन से सम्बंधित प्रावधानों को लागू किया (अगस्त 2023) और अपने अनुबंधित भार का उल्लंघन करने वाले 1.34 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के अनुबंधित भार में वृद्धि की। परिणामस्वरूप, उ पा का लि बढ़ी हुई प्रतिभूति जमा राशि के आधार पर ₹ 10.83 करोड़ का बिल जारी कर सका।
- लेखापरीक्षा ने अपने अनुबंधित भार का उल्लंघन करने वाले 43 औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिलिंग आँकड़ों का नमूना-जाँच के आधार पर विश्लेषण किया, और जून 2021 से नवंबर 2023 की अवधि के दौरान ₹ 1.59 करोड़ के अतिरिक्त भार माँग दण्ड का आरोपण न किए जाने की गणना की। लेखापरीक्षा

द्वारा इंगित किए जाने पर, उ पा का लि ने गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में चार गुना अधिक माँग दण्ड लगाने के प्रावधानों को लागू (दिसम्बर 2023) किया, ₹ 40.85 करोड़ के अतिरिक्त माँग शुल्क को बढ़ाया और ₹ 27.93 करोड़ वसूले (अगस्त 2024)।

अनुशंसाएँ

1. उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड चोरी संभावित क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने में प्रगति ला सकता है एवं उसे प्राथमिकता दे सकता है तथा अधिक वितरण हानि वाले विद्युत वितरण मंडलों/खण्डों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियमित रोटेशन सुनिश्चित कर सकता है।

2. उत्तराखण्ड सरकार चोरी संभावित क्षेत्रों में समर्पित पुलिस थानों की स्थापना में प्रगति ला सकती है तथा पर्याप्त मानव शक्ति (पुलिस अधिकारियों सहित) के माध्यम से सतर्कता प्रकोष्ठ को सशक्त कर सकती है।

3. उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह सुनिश्चित कर सकता है कि मुख्य/ अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खण्डों का निर्धारित समय पर निरीक्षण करें और निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तथा इन प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड छापों और राजस्व निरीक्षणों की निगरानी हेतु एक उप महाप्रबंधक/ अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी को नामित कर सकता है।

4. उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अनंतिम बिलिंग को अधिकतम दो बिलिंग चक्रों तक सीमित करने और बिल निर्गत न किए जाने/ रोके गए बिल वाले उपभोक्ताओं के प्रकरणों का समय पर समाधान करने के लिए निर्देशित कर सकती है।

5. उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अनुवर्ती कार्रवाई बढ़ाने के लिए ऑफलाइन जारी किए गए राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के विवरण को बिलिंग मॉड्यूल में दर्ज करने को प्राथमिकता दे सकता है।

6. उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों और उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों एवं विद्युत लोकपाल के आदेशों/निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक तंत्र विकसित कर सकता है। इसमें संरचित आंतरिक दिशानिर्देश/ एस ओ पी आदि तैयार करना और अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना सम्मिलित हो सकता है।